

संख्या 26/5 / 111(2) / 16-03(मु0मं0घो0) / 2015

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।हायरी नं० 5007
फाईल नं० 42110(ए0)
दिनांक 22/10/2016

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

देहरादून: दिनांक: 13 अक्टूबर, 2016

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- मा0मु0मं0घो0 सं0 226/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में राजकीय चिकित्सालय नौधार से अम्बेडकर ग्राम गैरा तक लिंक मोटर मार्ग का नाम परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश सं0-1835 / 111(2) / 15-03(मु0मं0घो0) / 2015 दिनांक 19.03.2015 के संलग्नक के क्रमांक-19 पर स्वीकृत कार्य "मा0मु0मं0घो0 सं0 226/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में राजकीय चिकित्सालय नौधार से अम्बेडकर ग्राम गैरा तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण" लम्बाई 2.50 किमी0 तथा लागत ₹ 23.03 लाख है, का नाम परिवर्तित कर "जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में बिल्लेख से अम्बेडकर ग्राम गैरा तक मोटर मार्ग का निर्माण" किये जाने की माननीय श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 19.03.2015 के संलग्नक के क्रमांक-19 पर अंकित कार्य का मात्र उक्तानुसार नाम में परिवर्तन किया गया है। उक्त मार्ग की लम्बाई तथा लागत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 19.03.2015 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

3- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 19.03.2015 को उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा

R.N. 5007 / 42110(ए0) दिनांक 22/10/2016
सहायक अभियन्ता (मु0)
को (संलग्नक) एवं उचितद्वारा भर्त्तावही के

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या 26/5 (1) / 111(2) / 16-03(मु0मं0घो0) / 2015 तददिनांक 22/10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, अल्मोड़ा।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।
10. गार्ड बुक।

अभियन्ता सत्यापित
महायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

प्रेषक:

अपरिचय सिंह हयाकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में:

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 19 मार्च, 2010

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2014-15 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 22 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0मि0यो0 उत्तराखण्ड द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 22 कार्यों के प्रारम्भिक आगणना, जिनकी कुल लम्बाई 81.50 किमी0 + 10 सेतु तथा लागत ₹ 769.25 लाख है, पर लो0मि0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 769.25 लाख (ह सात करोड़ छह लाख पच्चीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 22 कार्यों हेतु ₹ 2.20 लाख (दो लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके नियंत्रण में रखे जाने की महासहिप श्री राज्यपाल निम्नीकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समग्ररूप से पूर्ण किया जायेगा तदनुषंगान्त शासनादेश सं0-1764/11(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवधानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणना में उल्लिखित शर्तों का विशेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित पत्रों को जो दफे रोडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायाजन विस्तृत आगणना तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के माध्यम से पूरक हो चुकी हों एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित शर्तों/विशिष्टताओं के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित करते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणना में जिन मदों हेतु जो शर्तें स्वीकृत की गई हैं व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोत्तरीयोजन कृत्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैन्युअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करते समय या आगणना गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणना में एन0सी0या0, भूमि अधिग्रहण, यदि लिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखाधीन-500-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिवर्धन-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/सेतु/आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-10-24 उक्त निर्माण कार्य में विभागीय आय व्यय से प्राविधानित नियंत्रण पर पूर्ण तथा धनराशि से किया जायेगा।

आज्ञाप्रति सत्यान्त

महोदय अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2015 तक सुनिश्चित किया जाएगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मध्य में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जाएगा।

(xi)- यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनास्तरीय स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जाएगी।

(xii)- प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषमगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो नित्यस्यता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाए।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में लोक निर्माण विभाग के अनुमान सं०-22-लेखावर्षिक-5054 सड़कों तथा श्रेणियों पर पूंजीगत परिधाय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे खाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 935/XXVII(2)/2014 दि०- 18 मार्च, 2015 को प्राप्त चनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोपरी।

भवदीय,

(अपविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या-1035/111(2)/15-03(गोमोचो)/2015 तदतिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), औद्योगिक मोटर्स बिल्डिंग, राजारा देहरादून।
2. आयुक्त, राववाल/कुमार सण्डल, पोडी/मैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोनिवि, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य/त्रिस्तरीय कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लोनिवि, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाइल।

अप्रति सत्यनिष्ठा सत्यापित

सहायक अभियन्ता
पार्षद सचिव
रानीखेत

(पुनः पांगती)
सम सचिव

58

30

शासनादेश संख्या- 1835 / 11(2)/15-03(मु0म0घ0)/2015 दिनांक 17 मार्च, 2015 का संलग्नक

(भनपति लाघ र 0)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	टी0प0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चाहू किलीमीटर पर में लागत के अनुमोदित भनपति
1	2	3	4	5
1	मा0मु0घ0 सं0 816/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जामेश्वर में बसोली से गोराली, आनुली, शिरगांव, रोटा बडोली, अलबोना होते हुए भनोली शिगतखेत तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण एवं 24 मी0 स्पान स्टील गार्डर सेतु का निर्माण कार्य।	12.00 + 24 mt	94.13	0.10
2	मा0मु0घ0 सं0 814/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जामेश्वर में ग्राम बालीखेत व शाहीखेत के मध्य पजार नदी में 60मी0 स्पान झुला पुल का नवनिर्माण कार्य।	60 mt	4.02	0.10
3	मा0मु0घ0 सं0 801/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में भगतोला से श्रीरा पोखरी अम्बेडकर गांव मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4.00	36.74	0.10
4	मा0मु0घ0 सं0 808/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में बड़थुडा से अपनिया तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण एवं 10 मी0 स्पान आर0सी0सी0 मोटर सेतु सहित निर्माण।	4.00 + 10 mt	38.03	0.10
5	मा0मु0घ0 सं0 800/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में ईजा- जोरासी मोटर मार्ग के विस्तार पर कोसी नदी पर 72 मी0 विस्तार मोटर सेतु का निर्माण।	72 mt	7.92	0.10
6	मा0मु0घ0 सं0 781/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में सोलाघाट-गुरना मोटर मार्ग का निर्माण।	5.00 + 24 mt	44.16	0.10
7	मा0मु0घ0 सं0 261/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में शिकोरा से ओर इण्डर कालेज तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	27.64	0.10
8	मा0मु0घ0 सं0 813/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-अल्मोड़ा में विकासखण्ड गौरियाघाना के सरुला ग्राम के समीप जटारांग नदी पर 26 मी0 स्पान स्टील गार्डर सेतु का नवनिर्माण।	36 mt	9.15	0.10
9	मा0मु0घ0 सं0 800/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में जयराडी बेंड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण एवं 12 मी0 आर0सी0सी0 मोटर सेतु सहित।	3.00 + 18 mt	25.61	0.10
10	मा0मु0घ0 सं0 805/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में गौराड से दिव्या तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00	24.69	0.10
11	मा0मु0घ0 सं0 823/2014 के अन्तर्गत जनपद दिहरी के विधानसभा क्षेत्र घनसाली में बजियाल गांव से निलाछाड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	53.91	0.10
12	मा0मु0घ0 सं0 857/2014 के अन्तर्गत जनपद दिहरी के विधानसभा क्षेत्र घनसाली में गोवाधार-कोठेश्वर महादेव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	32.35	0.10

अनुमोदित सत्यापित

सहायक अभियन्ता
ग्राम्य स्वच्छता नि० वि०
गान्धीखेत

5.5

31

①

-4-

शासनादेश संख्या-1835 / 11(2)/15-03(पुनर्गठित)/2015 दिनांक / 9 मार्च 2015 का संलग्नक

13	मा0मु0घो0 सं0 552/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-नैनीताल में कोसी बैराज से भरतपुरी मम्पापुरी होते हुए आमडंडा तक कोसी नदी पर तटबंध व चौ लेन बाईपास सड़क का निर्माण।	3.50	39.63	0.10
14	मा0मु0घो0 सं0 220/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में गनियाघोली-सिंगोली मोटर मार्ग से ग्राम गुलोली, बेसासाली (कमठपानी), मुलवगुड़ तक 02 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	18.42	0.10
15	मा0मु0घो0 सं0 221/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में चौगाव-जुड़ा से फंदनीला होते हुए सेलापानी तक मोटरमार्ग का निर्माण।	9.00	83.99	0.10
16	मा0मु0घो0 सं0 222/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में ताडीखेत-मंजूरखान-मोपली मोटर मार्ग का विस्तारीकरण करते हुए इस मोटर मार्ग में ग्राम सलचा-हरोली-यमवाडी-मिलोली-पजखोला होते हुए नीला की ओर विस्तार।	2.00	18.42	0.10
17	मा0मु0घो0 सं0 219/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में पाली- नवुली मोटर मार्ग को जखोली से गोवडी होते हुए मंजूरखान मोटर मार्ग से मिलान।	7.00 + 12 mt	65.57	0.10
18	मा0मु0घो0 सं0 225/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में गैरड से कोटाड लिक मोटर मार्ग एवं मोटर वाहन पुल का निर्माण।	6.00 + 30 mt	57.67	0.10
19	मा0मु0घो0 सं0 226/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में प्राणकीय चिकित्सालय नीघार आम्बडकर ग्राम गैरा तक लिक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम धरण)	2.50	23.03	0.10
20	मा0मु0घो0 सं0 227/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में खाबर घट्टी से सांखाल होते हुए ग्राम सभा बेना तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2.50	23.03	0.10
21	मा0मु0घो0 सं0 228/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में ताडीखेत-मंजूरखान मोटर रोड से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगू देव सिंह कुयारी के ग्राम कमेडीना तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	18.42	0.10
22	मा0मु0घो0 सं0 229/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में गनियाघोली-विशालकोट मोटर मार्ग का ग्राम राजा तरखार काठिया डोनी होते हुए विशालकोट की ओर 2.00 किमी0 विस्तार कार्य।	3.00 + 12 mt	28.72	0.10
	योग:-	81.50 + 10 Mt	769.25	2.20

(कुल 2 को लाख बीस हजार मात्र)

ठायाप्रति सत्यापित

(पुनर्गठित संगीत)
उप सचिव

सहायक अभियन्ता
पन्तिय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

5-6